

## आधिसूचना

कार्यकारिणी परिषद् की बैठक दिनांक 30.05.2016, मद संख्या 21 के अनुसार अधिष्ठाता समिति की सिफारिशानुसार रजतक स्तर में सी.बी.सी.एस. प्रणाली के अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2016-17 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी/निर्धारित नवीनतम् पाठ्यक्रम/नियमावली को पूर्ण रूपैण से लागू करने बारे निम्न निर्णय लिया:-

“कार्यकारिणी परिषद् ने अधिष्ठाता समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रजतक स्तर पर सी.बी.सी.एस. प्रणाली के लिए जारी/निर्धारित नवीनतम् पाठ्यक्रम को शैक्षणिक सत्र 2016-17 से लागू करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की।”

कुलसचिव

हि.प्र.वि. शिमला-5

पृष्ठाक्रम संख्या: सम

दिनांक: 4 JUN 2016

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. अधिष्ठाता अध्ययन, हि.प्र.वि. शिमला-5 से निवेदन है कि कार्यकारिणी परिषद् के निर्णयानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा रजतक स्तर पर सी.बी.सी.एस. प्रणाली के लिए जारी/निर्धारित नवीनतम् पाठ्यक्रम को पूर्ण रूपैण लागू करने के लिए सभा अधिष्ठाताओं, विभागाध्यक्षों एवं निदेशकों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अतिशीघ्र बैठक आयोजित करने की कृपा करें।
2. परीक्षा नियन्त्रक/अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक, हि.प्र.वि. शिमला-5
3. अधिष्ठाता, नियोजन एवं शिक्षण सम्बद्धी मामले, हि.प्र.वि. शिमला-5
4. समस्त अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष/निदेशक, हि.प्र.वि. शिमला-5
5. प्राचार्य, हि.प्र.वि. से सम्बद्धता प्रदान समस्त भावित्यालय, हि.प्र.।
6. वरिष्ठ सचिव/सचिव माननीय कुलपति/कुलसचिव, हि.प्र.वि. शिमला-5
7. जन सम्पर्क अधिकारी, हि.प्र.वि. शिमला-5
8. उप कुलसचिव प्रशासन, हि.प्र.वि. शिमला-5
9. समस्त विभागों/कार्यालयों के अधिकारी, हि.प्र.वि. शिमला-5
10. बैब एडमिन, हि.प्र.वि. शिमला-5 से निवेदन है कि उपरोक्त अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बैवसाइट पर दर्शाए।

कुलसचिव